

प्रेषक,

मोहम्मद आजाद,

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, कुशीनगर, स्थान पडरौना।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान प्रधान न्यायाधीश,

परिवार न्यायालय, कुशीनगर, स्थान पडरौना।

विषय-

शासनादेश संख्या/14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024,

दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन हेतु विकल्प चयन का

प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 15-06-2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4 संख्या 2430/दो-4-06-32(1)/2001 (टी सी 1) से हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विज्ञप्ति के अनुसार प्रार्थी ने जनपद बदायूं में अपर सिविल जज (जू०डि०) के रूप में दिनांक 15-06-2006 के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन संख्या A-2/E-1/2003, Employment News 22-28 November, 2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार से प्रार्थी ने शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।

प्रार्थी शासनादेश संख्या -20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1), 2024 दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में अपना विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रेषित कर रहा है। प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित करने हेतु पत्र प्रेषित कर रहा है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की महती कृपा की करें।

सादर !

दिनांक 18-07-2024

भवदीय

for forwarding
श्रीमान प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, कुशीनगर, स्थान पडरौना।
दिनांक 18/07/2024

Mohammad Azad
(मोहम्मद आजाद)

अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कुशीनगर,
स्थान पडरौना।

संलग्नक-

1-पुरानी पेंशन योजना में शामिल किये जाने हेतु विकल्प पत्र।

शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

दिनांकित 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक

विकल्प पत्र

- 1- नाम-मोहम्मद आजाद
- 2- वर्तमान पदनाम-अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कुशीनगर, स्थान पडरौना
- 3- वेतनमान-(163030)-Basic Pay as on 06-06-2024.
- 4- वर्तमान विभाग का नाम-उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा
- 5-राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद
- 6-विज्ञप्ति की तिथि-A-2/E-1/2003, Employment News 22-28 November, 2003
- 7- विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-15-06-2006
- 8- योगदान की तिथि-15-06-2006
- 9- जन्म तिथि-20-07-1968
- 10- सेवानिवृत्ति की तिथि-31-07-2028

मैं मोहम्मद आजाद पुत्र फखरुद्दीन शासनादेश संख्या 14/2024/सा-3-24/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना/नवीन पेंशन योजना () में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर-

नाम-मोहम्मद आजाद

पदनाम-अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कुशीनगर,
स्थान पडरौना

घोषणा पत्र

मैं, मोहम्मद आजाद, पदनाम-अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कुशीनगर, स्थान-पडरौना यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 10 तक मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

नाम-मोहम्मद आजाद

पदनाम-अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, कुशीनगर,
स्थान पडरौना

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती मोहम्मद आजाद पदनाम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कुशीनगर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना/नई पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,

कुशीनगर, स्थान पडरौना।

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय-कुशीनगर